कार्यालय नगर पालिका परिषद, गाजीपुर।

संख्या प्रोटो /23–निविदा/न0पा0 दिनांक 06-6-11

निविदा सूचना

एतद्द्वारा नगर पालिका परिषद, गाजीपुर के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद के निर्माण कार्य का टेण्डर दिनांक 21-6-2011 को अपरान्ह 02 बजे तक आमंत्रित किया जाता है, जो उसी तिथि को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अपरान्ह 02-30 बजे खोला जायेगा। निविदा अधोहस्ताक्षरी या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। कार्य विवरण, टेण्डर फार्म व अन्य नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में समय 10 बजे से 05 बजे तक पालिका कार्यालय में देखी व पढ़ी जा सकती है। निविदा का विक्रय दिनांक 20-6-11 को 10 बजे से 03 बजे तक नगर पालिका परिषद, गाजीपुर कार्यालय में किया जायेगा ।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित की धनराशि	जमानत की धनराशि	निविदा मूल्य	समय अवधि	आरक्षण
1.	वार्ड नं0 06 मोहल्ला–सिद्धेश्वरनगर कालोनी में श्री राजेश राय के मकान से श्रीमती अलका राय के मकान तक नाली निर्माण	53053.00	1100.00	250.00	15 दिन	आरक्षित
2.	वार्ड नं0 03 मोहल्ला–ददरीघाट में गायत्री देवी के मकान से सुदामा पाण्डे के मकान तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण।	118563.00	2500.00	300.00	15 दिन	आरक्षित
3.	वार्ड नं0 06 मोहल्ला– शास्त्रीनगर में पारस नाथ के मकान से संतोष के मकान तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण।	86468.00	2000.00	250.00	15 दिन	
4.	वार्ड नं0 16/1 मोहल्ला–मारकीनगंज में गुप्ता होटल से श्री केशव के मकान तक सड़क सुधार का कार्य	137579.00	3000.00	300.00	15 दिन	
5.	वार्ड नं0 11 मोहल्ला– मुहम्मदपटटी में राजू के मकान से जनार्दन शर्मा के मकान तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण	251211.00	5200.00	500.00	15 दिन	

नियम व शर्ते

1. निविदा मोहर बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. प्रत्येक निविदा के साथ देय धरोहर धनराशि के रूप में एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/किसान विकास पत्र जो अधिशासी अधिकारी के नाम बंधक होगी, संलग्न कराना अनिवार्य होगा तथा टेण्डर फार्म पर विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।
3. न्यूनतम निविदादाता को स्वीकृति सूचना के तीन दिन के अन्दर निर्धारित स्टाम्प पेपर प्रस्तुत कर अनुबंध करना तथा शेष 08 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा कराना अनिवार्य होगा। अनुबंध करने के बाद ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा तथा कार्यादेश के एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा और इसकी लिखित सूचना ठेकेदार कार्यालय में लिखित रूप में देगा। अन्यथा जमानत की समस्त धनराशि जब्त करते हुए एक साल तक निर्माण कार्य में भाग लेने से निषेध कर दिया जायेगा।
4. कार्य निर्धारित माप दण्ड से खराब पाये जाने की दशा में सम्पूर्ण वसूली ठेकेदार से की जायेगी।
5. धरोहर धनराशि का स्पष्ट अंकन लिफाफे के ऊपर करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे खोला जाना अवांछनीय होगा।
6. एक या सभी निविदाओं को किन्ही कारणों से निरस्त करने या उनको अन्य ठेकेदारों के मध्य वितरित करने/निगेशिएट करने का अधिकार अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, गाजीपुर में निहित होगा।
7. समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण न करने की दशा में समयवृद्धि/अर्थदण्ड आरोपित करने का अधिकार अध्यक्ष, में निहित होगा।
8. सशर्त निविदायें स्वीकार नही की जायेगी। निविदा दर में सभी कर सम्मिलित करना चाहिये। विभाग द्वारा कर के रूप में कोई अतिरिक्त धन उपलब्ध नही कराया जायेगा।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

9. निविदा की समस्त कार्यवाही नगर पालिका परिषद, गाजीपुर कार्यालय में की जायेगी तथा कार्य स्थल, व्यानुमान एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी निर्माण अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालय अवधि में देखी जा सकती है।

10. दिनांक 30.11.2009 को हुई निविदा में जिन ठिकेदारों टेण्डर ले कर अभी तक कार्य पूर्ण नही किया गया है, उनकी निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

11. निविदा कय करने वाले निविदादाता का टी 4 व टी 5 प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाश की तिथि को नियमानुसार नियत अवधि का ही मान्य होगा।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
गाजीपुर।

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
गाजीपुर।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर।
2. कार्यालय एन0आई0सी0 गाजीपुर को इस अनुरोध के साथ कि जिला मुख्यालय की वेबसाईड पर लॉच करने का कष्ट करें।
3. कार्यालय लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर।
4. कार्यालय नगर पालिका परिषद, गाजीपुर।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
गाजीपुर।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com